



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 773]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 26, 2018/कार्तिक 4, 1940

No. 773]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2018/KARTIKA 4, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2018

**सा.का.नि. 1069(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय सीमा सुरक्षा बल, संचार (अराजपत्रित) काडर भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में सीमा सुरक्षा बल के संचार (अराजपत्रित) काडर में समूह 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, रेडियो ओपरेटर और रेडियो मैकेनिक (अराजपत्रित) काडर भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा** :-इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) अधिनियम' से सीमा सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 47) अभिप्रेत है ;

(ख) महानिदेशक' से महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल अभिप्रेत है ;

(ग) सक्षम प्राधिकारी' से नियुक्ति प्राधिकारी या सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 और सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 में निर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "SHAPE -1" से नीचे परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :-

(i) कोड अक्षर शेष जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण:-

एस- मनोवैज्ञानिक

एच -श्रवण शक्ति

ए -उपांग

पी —शारीरिक क्षमता

इ —दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी। कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी—I में हैं वहां उसका प्रवर्ग एस1 एच1 ए1 पी1 ई1 लिखने के बजाए शेष—1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का सामान्य मूल्यांकन निम्नानुसार है :-

(1) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(2) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आंखों को श्रवण शक्ति या दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।

(3) "एस" कारक को छोड़कर, नैमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक टंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।

(4) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।

(5) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

(ड़) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 और सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 में हैं।

3. **लागू होना** .— ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अन्य अर्हताएं आदि**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु यह और कि पदधारियों को, जो संबंधित व्यवसाय पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में एक या उससे अधिक विषय में असफल हो जाते हैं, व्यवसाय पाठ्यक्रम परीक्षा में बैठने के अधिकतम दो अवसरों के लिये अनुज्ञात किया जाएगा और उन्हें अपनी परिवीक्षा की अवधि के दौरान व्यवसाय पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थी और परिवर्तित विभागीय उम्मीदवार अर्थात् हेड कांस्टेबल (रेडियो आपरेटर), हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक), हेड कांस्टेबल (फिटर) और कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) अपनी भर्ती या आमेलन की तारीख से परिवीक्षा काल के दौरान समान रूप से वेतन और भत्ते आहरित करेंगे और बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इन पदधारियों को, यथास्थिति, संबंधित व्यवसाय का श्रेणी —।।। पाठ्यक्रम और नक्शा पठन स्तर—।। पाठ्यक्रम पूरा करना होगा और तत्पश्चात् अनुसूची में यथा—विनिर्दिष्ट पद पर नियमित नियुक्ति, उनके सेवारत व्यवसाय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की तारीख से प्रभावी होगी।

6. **प्रारंभिक संघटन**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले ऐसे कार्मिक जो नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(2) ऐसे कार्मिक जो निरीक्षक और उप निरीक्षक पद धारण किए हुए हैं और विशेष यांत्रिक कर्मशाला में नायक/ हेड कांस्टेबल (तकनीकी) तौर पर प्रारंभ में भर्ती हुए थे को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(3) इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले संबंधित श्रेणी में उप नियम (1) और (2) में वर्णित कार्मिकों की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नति हेतु अर्हक सेवा, पुष्टीकरण और पेंशन के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा :

परन्तु यह कि पदोन्नति के लिए इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले ऐसे सीधे नियुक्त कार्मिकों की सेवा की अवधि की पात्रता प्रवेश की तिथि से गिनी जाएगी।

7. **ज्येष्ठता सूची का अनुरक्षण** —(1) उपनिरीक्षक के रैंक तक आपरेटरों और रेडियो मैकेनिक व्यवसाय प्रवर्ग के कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची संचार कैंडर में और रिक्तियों की गणना निरीक्षक पद तक प्रोन्नति के उद्देश्य से बल मुख्यालय (संचार निदेशालय) द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथक—पृथक रखी जाएगी। हालांकि, निरीक्षक (साधारण ड्यूटी), निरीक्षक (मोटर परिवहन), निरीक्षक (रेडियो ओपरेटर) और निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) की संयुक्त ज्येष्ठता सूची सहायक

कमाण्डेंट (साधारण ड्यूटी) पद पर प्रोन्नति के उद्देश्य से कार्मिक/गोपनीय और सतर्कता निदेशालय द्वारा अनुरक्षित की जाएगी।

#### 8. ज्येष्ठता —

(1) उच्चतर रैंक धारण करने वाले व्यक्ति चाहे वह किसी भी स्थानापन्न या अधिष्ठायी क्षमता पर हों निम्नतर रैंक धारण करने वाले व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे।

(2) किसी रैंक में ज्येष्ठता, उस रैंक में निरंतर नियमित सेवा के आधार पर अवधारित होगी:

परन्तु उसी तारीख को समान रैंक धारण करने वाले कार्मिकों की ज्येष्ठता उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(3) उपनियम (2) के उपबंध के अधीन रहते हुए, प्रविष्ट श्रेणी पद पर ज्येष्ठता, श्रेणी—।।। पाठ्यक्रम की उनकी अंतिम परीक्षा में योग्यता के अनुसार ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से अवधारित की जाएगी:

परन्तु ऐसे व्यक्ति, जिनका किसी पूर्ववर्ती बैच में नियुक्ति के लिए चयन किया गया था, उन व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे जिनका पश्चातवर्ती बैचों में चयन किया जाता है।

(4) बीजलेख व्यवसाय का रेडियो ऑपरेटर वर्ग तथा फिटर व्यवसाय का रेडियो मैकेनिक वर्ग के साथ विलय होने पर पदधारियों की परस्पर वरीयता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड होंगे :—

- (i) विलय होने वाले व्यवसाय में वरीयता, वर्तमान पद पर पदोन्नति की तिथि से निर्धारित की जाएगी;
- (ii) व्यवसायों के विलय होने पर, कनिष्ठ कार्मिकों को आमेलित इकाई के ज्येष्ठ कार्मिकों के नीचे रखा जाएगा।
- (iii) ऐसे अवसरों पर जहां कार्मिकों की वर्तमान पद पर पदोन्नति की तिथि एक समान है, तब उनकी ज्येष्ठता का निर्धारण करने के लिए निचले पद पर उनकी पदोन्नति की तिथि से विचार किया जाएगा।
- (iv) ऐसे मामलों में जहां कार्मिकों की निचले पद पर पदोन्नति की तिथि भी एक समान है, तब उससे निचले पद पर उनकी पदोन्नति की तिथि से विचार किया जाएगा तथा अगर वह भी एक समान है, तो संबंधित व्यवसाय के पोषक वर्ग में उनकी नियुक्ति की तिथि की गणना की जाएगी।
- (v) हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) और हेड कांस्टेबल (बीजलेख) की वरीयता का निर्धारण उनकी हेड कांस्टेबल/नायक (रेडियो ऑपरेटर) के तौर पर नियुक्ति की तिथि के अनुसार होगा क्योंकि हेड कांस्टेबल (बीजलेख) का पद परिवर्तन केवल हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) के पद से ही होता है तथा ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. के लिए उनकी सेवा की गणना भी हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) या नायक (ऑपरेटर) के तौर पर उनकी नियुक्ति की तिथि से ही होती है।

#### 9. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,—

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

10. अन्य देशीय की अपात्रता:— ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय इन नियमों के अधीन नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा:

परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल, या भूटान के नागरिक इन नियमों के अधीन नियुक्ति, नामांकित या नियोजन से विवर्जित नहीं होगा।

11. अधिवर्षिता :— (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अन्तिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा :

परन्तु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा ।

(2) किसी व्यक्ति को सत्तावन वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा ।

12. **शिथिल करने की शक्ति** .- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

13. **सेवा का दायित्व**:- इन नियमों के अधीन किसी श्रेणी के पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत में या विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

14. **व्यावृत्ति** .- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1. निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर)	526* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसूचित ।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
स्तर-7 (44900-142400 ₹0 )।	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति द्वारा :- ऐसे उप निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (35400-112400₹0) में स्तर-6 हो उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित अन्य पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो तथा जिनकी चिकित्सा श्रेणी "SHAPE-I" हो ।

	<p><b>टिप्पण 1:</b>—जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b>— निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर) के पद पर प्रोन्नति हेतु उप निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर) के समतुल्य ही उप निरीक्षक (बीजलेख) के रूप में की गई सेवा की भी गणना की जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b>— केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य श्रेत्रों के सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठनों के कार्मिक :</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स ( 35400-112400 रू0) में स्तर-6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो और टेलीविजन तकनीक या इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा प्रेपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तकनीक या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या डाटा एंट्री ऑपरेटर में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हो।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित विद्यार्थी के तौर पर भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों में समुच्चय 60 प्रतिशत अंकों सहित भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों के साथ 12वीं या इंटरमीडिएट या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> अभ्यर्थी चिकित्सीय तौर पर स्वस्थ होने चाहिए तथा उनकी शारीरिक व मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए और उनमें ऐसी कोई भी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे सक्षमतापूर्वक कार्य निष्पादन में बाधा पड़ने की संभावना हो।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b></p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले आधारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति पर विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :</p> <p>(1) महानिरीक्षक, — अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल</p> <p>(2) उप महानिरीक्षक, — सदस्य; सीमा सुरक्षा बल</p> <p>(3) उपमहानिरीक्षक, — सदस्य; सीमा सुरक्षा बल</p> <p>(4) कमांडेंट, — सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

सीमा सुरक्षा बल	
-----------------	--

(1)	(2)	(3)
2. उप निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर)	1080* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक।

(4)	(5)	(6)
स्तर-6 (35400-112400 रु. )।	चयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति द्वारा :-</b></p> <p>ऐसे सहायक उप निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में (29200-92300रु.) स्तर-5 में उस श्रेणी में कम से कम छह वर्ष नियमित सेवा की हो, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो तथा जिनकी चिकित्सा श्रेणी "SHAPE-I" हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b>जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2:-</b> उप निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर) के पद पर प्रोन्नति हेतु सहायक उप निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर) के समतुल्य ही सहायक उप निरीक्षक (बीजलेख) के रूप में की गई सेवा की भी गणना की जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:-</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठनों के कार्मिक :</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में (29200-92300 रु0) स्तर-5 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हों।</p> <p>(ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो और टेलीविजन तकनीक या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा प्रेपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तकनीक या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या डाटा एंट्री ऑपरेटर में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हो।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित विद्यार्थी के तौर पर भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों में समुच्चय 60 प्रतिशत अंकों सहित भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों के साथ 12वीं या इंटरमीडिएट या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p>

	<p><b>टिप्पण 1</b> : अभ्यर्थी चिकित्सीय तौर पर स्वस्थ होने चाहिए तथा उनकी शारीरिक व मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए और उनमें ऐसी कोई भी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे सक्षमतापूर्वक कार्य निष्पादन में बाधा पड़ने की संभावना हो।</p> <p><b>टिप्पण 2</b> : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले आधारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय पुष्टि समिति, प्रोन्नति/पुष्टि पर विचार के लिए जिनमें निम्नलिखित होंगे :	लागू नहीं होता।
(1) महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल — अध्यक्ष;	
(2) उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल — सदस्य;	
(3) उपमहानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल — सदस्य;	
(4) कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल — सदस्य।	

(1)	(2)	(3)
3. सहायक उप निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर)	2982* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक।

(4)	(5)	(6)
स्तर-5 ( 29200-92300रु०)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति द्वारा :</b></p> <p>ऐसे हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में ( 25500-81100रु०) स्तर-4 में उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो तथा जिनकी चिकित्सा श्रेणी "SHAPE-I" हो।</p> <p><b>टिप्पण 1</b> : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष</p>

	<p>से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> सहायक उप निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर) के पद पर प्रोन्नति हेतु हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) के समतुल्य ही हेड कांस्टेबल (बीजलेख) के रूप में की गई सेवा की भी गणना की जाएगी।</p>
--	---

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति पर विचार के लिए जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :</p> <p>(1) उप महानिरीक्षक, — अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल</p> <p>(2) कमांडेंट, — सदस्य; सीमा सुरक्षा बल</p> <p>(3) द्वितीय-कमान-अधिकारी, —सदस्य। सीमा सुरक्षा बल या उप कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)
4. हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर)	4065* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक।

(4)	(5)	(6)
स्तर-4 (25500-81100रू० )।	चयन पद।	18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)	(8)	(9)
<p><b>1. भौक्षिक अर्हताएं :-</b> मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो और टेलीविजन तकनीक या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा प्रेपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तकनीक या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या डाटा एंट्री ऑपरेटर में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (आई.टी.आई) हो।</p>	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।



या

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित विद्यार्थी के तौर पर भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों में समुच्चय 60 प्रतिशत अंकों सहित भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों के साथ 12वीं या इंटरमीडिएट या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

**2. भारीरिक मानदंड :-**

(पुरुष अभ्यर्थियों के लिए)

लम्बाई : 168 से.मी.

सीना : 80 से.मी. (फुलाने के बाद 85 से.मी.)

वजन : ऊँचाई के अनुरूप

**टिप्पण 1 :-** ऊँचाई के मामले में न्यूनतम मानक में मूलवंश से संबंधित व्यक्तियों अर्थात् गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी, लेह व लद्दाख क्षेत्र, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों को 3 से.मी. (अर्थात् 168 से.मी. की बजाए 165 से.मी.) तक शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2 :-** मिजो और नागा सहित अनुसूचित जनजातियों आदिवासियों के संबंध में लम्बाई में 5.5 से.मी. (अर्थात् 168 से.मी. की बजाए 162.5 से.मी.) तक शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 3 :-** आदिवासियों या जनजातियों के मामले में क्रमशः सीने की माप के न्यूनतम मानक में बिना फुलाए 80 से.मी. और फुलाकर 85 से.मी. की बजाए बिना फुलाए 76 से.मी. और फुलाकर 81 से.मी. तक शिथिल की जा सकती है।

(महिला अभ्यर्थियों के लिए)

लम्बाई : 157 से.मी.

सीना : लागू नहीं

वजन : ऊँचाई के अनुरूप

छूट :

गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी, लेह व लद्दाख क्षेत्र, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए : 155 से.मी.

जनजातियों या आदिवासियों के लिए जिनमें मिजो और नागा भी शामिल हैं : 154 से.मी.

**3. चिकित्सा मानक (पुरुषों और महिलाओं के लिए) :-**

(क)

(निकट दृष्टि)		(दूर दृष्टि)		अपवर्तन	टिप्पणी
अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख		
एन6	एन9	6/6	6/9	किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार यहां तक की चश्मों के द्वारा भी, स्वीकार्य नहीं होगा।	दाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की दाईं आंख उसी प्रकार बाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की बाईं आंख बेहतर होनी चाहिए। द्विनेत्री दृष्टि की आवश्यकता है।

(ख) (ख) अभ्यर्थियों के मिले हुए घुटने, सपाट तलवे, स्फीत शिरा या आंखों में भंगापन नहीं होना चाहिए और उनकी दृष्टि, इशहारा के द्वारा सी.पी.-III होनी चाहिए। वे मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के होने चाहिए और

<p>कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि सक्षमतापूर्वक कार्य संपादन में बाधा पड़ने की संभावना हो।</p> <p>4. अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा, प्रारंभिक जांच परीक्षण (पी.एस.टी), शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.) और विस्तृत चिकित्सकीय जांच में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।</p> <p><b>5. व्यावसायिक अर्हताएं :</b></p> <p>परिवीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में अर्हित होना चाहिए :-</p> <p>(i) बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण</p> <p>(ii) रेडियो ऑपरेटर पाठ्यक्रम श्रेणी- III और</p> <p>(iii) नक्शा पठन स्तर -II ।</p>		
---	--	--

(10)	(11)
<p>(i) पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (जिसमें दस प्रतिशत तक भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन शामिल है जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा);</p> <p>(ii) पच्चीस प्रतिशत सीमा सुरक्षा बल के इच्छुक साधारण ड्यूटी कार्मिकों की सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा (एल.डी.सी.ई.) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p><b>1. भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन :-</b></p> <p>(क) सशस्त्र बलों में उसी ट्रेड में समतुल्य रैंक या उच्चतर रैंक धारण करने वाले भूतपूर्व सैनिक।</p> <p>(ख) शारीरिक मानदण्ड और शैक्षिक योग्यताओं में पूर्ण रूपेण छूट।</p> <p>(ग) चिकित्सा श्रेणी "SHAPE-I" होनी चाहिए।</p> <p>(घ) सैन्य सेवा में तीन वर्ष जोड़कर आयु सीमा में छूट।</p> <p>(ङ) सेवा में व्यवधान दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p><b>2. सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा (एल.डी.सी.ई.) :-</b></p> <p>(क) ऐसे इच्छुक कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी/ट्रेडमैन) जिन्होंने सीधी भर्ती हेतु यथाविहित शैक्षिक अर्हता सहित संबंधित श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास निम्नलिखित अर्हता हो:-</p> <p>(i) अभिरुचि परीक्षण में अर्हक।</p> <p>(ii) चिकित्सा श्रेणी "SHAPE-I" हो</p> <p><b>(ख) व्यावसायिक योग्यता :-</b> परिवीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में अर्हता होनी चाहिए अन्यथा उसे पिछले पद पर वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>(i) रेडियो ऑपरेटर पाठ्यक्रम श्रेणी- III;</p> <p>(ii) नक्शा पठन स्तर- II।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति पर विचार के लिए जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :</p> <p>(1) कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल — अध्यक्ष;</p> <p>(2) द्वितीय-कमान-अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल — सदस्य;</p> <p>(3) उप कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल —सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)
5. निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक)	314* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

	किया जा सकता है।)	
--	-------------------	--

(4)	(5)	(6)
स्तर-7 (44900-142400रू0 )।	चयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति द्वारा :</b></p> <p>ऐसे उप निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में ( 35400-112400रू0) स्तर-6 में, उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो तथा जिनकी चिकित्सा श्रेणी "SHAPE-I" हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची कार्मिकों द्वारा संबंधित पद/श्रेणी के लिए निर्धारित अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने की तिथि को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु उप निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) के समतुल्य ही उप निरीक्षक (फिटर) के रूप में की गई सेवा की भी गणना की जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:-</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठनों के कार्मिक :</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में ( 35400-112400रू0) स्तर-6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हों।</p> <p>(ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो और टेलीविजन तकनीक या सामान्य इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा प्रेपरेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर तकनीक या नेटवर्क टेकनिशियन या मेकाट्रोनिक्स या डाटा एंट्री ऑपरेटर में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (आई.टी.आई) हो।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित विद्यार्थी के तौर पर भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों में समुच्चय 60 प्रतिशत अंकों सहित भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों के साथ 12वीं या इंटरमीडिएट या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> अभ्यर्थी चिकित्सीय तौर पर स्वस्थ होने चाहिए तथा उनकी शारीरिक व मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए और उनमें ऐसी कोई भी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे सक्षमतापूर्वक कार्य निष्पादन में बाधा पड़ने की संभावना हो।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले आधारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

	प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
(12)	(13)	
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति पर विचार के लिए जो निम्नलिखित से मिलकर बनेंगी :	लागू नहीं होता।	
(1) महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल	— अध्यक्ष;	
(2) उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल	— सदस्य;	
(3) उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल	— सदस्य;	
(4) कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल	— सदस्य।	

(1)	(2)	(3)
6. उप निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक)	553* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

(4)	(5)	(6)
स्तर-6 ( 35400-112400रू0)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति द्वारा :-</b> ऐसे सहायक उप निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में (29200-92300रू0) स्तर-5 में उस श्रेणी में कम से कम छह वर्ष नियमित सेवा की हो, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो तथा जिनकी चिकित्सा श्रेणी "SHAPE-I" हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b>जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2:-</b> उप निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु सहायक उप निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) के समतुल्य ही सहायक उप निरीक्षक (बीजलेख) के रूप में की गई सेवा की भी गणना की जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:-</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के सशस्त्र बलों या केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठनों के कार्मिक :</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p>

	<p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में ( 29200—92300रु0) स्तर-5 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हों।</p> <p>(ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो और टेलीविजन तकनीक या सामान्य इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा प्रेपरेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर तकनीक या नेटवर्क टेकनिशियन या मेकाट्रोनिक्स या डाटा एंट्री ऑपरेटर में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (आई.टी.आई) हो।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित विद्यार्थी के तौर पर भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों में समुच्चय 60 प्रतिशत अंकों सहित भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों के साथ 12वीं या इंटरमीडिएट या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>टिप्पण 1 : अभ्यर्थी चिकित्सीय तौर पर स्वस्थ होने चाहिए तथा उनकी शारीरिक व मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए और उनमें ऐसी कोई भी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे सक्षमतापूर्वक कार्य निष्पादन में बाधा पड़ने की संभावना हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्त की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्त से ठीक पहले आधारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय पुष्टि समिति, प्रोन्नति/पुष्टि पर विचार के लिए जो निम्नलिखित से मिलकर बनेंगीं : (1) महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल — अध्यक्ष; (2) उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल — सदस्य; (3) उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल — सदस्य; (4) कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल — सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
7. सहायक उप निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक)	978* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक।

(4)	(5)	(6)
स्तर-5 ( 29200—92300रु0)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)	(11)	
प्रोन्नति द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति द्वारा :</b>  ऐसे हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में (25500-81100रु0) स्तर-4 में उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर यथाविहित अन्य पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो तथा जिनकी चिकित्सा श्रेणी "SHAPE-I" हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> सहायक उप निरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) के समतुल्य ही हेड कांस्टेबल (फिटर) के रूप में की गई सेवा की भी गणना की जाएगी।</p>	
(12)	(13)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति पर विचार के लिए जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (1) उप महानिरीक्षक, — अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल (2) कमांडेंट, — सदस्य; सीमा सुरक्षा बल (3) द्वितीय-कमान-अधिकारी, —सदस्य। सीमा सुरक्षा बल या उप कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल	लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)
8. हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक)	1051* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक।

(4)	(5)	(6)
स्तर-4 (25500-81100रु0)।	चयन पद।	18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और

		निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	
(7)		(8)	(9)
<p>1. शैक्षिक अर्हताएं :- जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो और टेलीविजन तकनीक या सामान्य इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा प्रेपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तकनीक या इलेक्ट्रीशियन या फिटर या सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेन्टीनेंस या कंप्यूटर हॉर्डवेयर या नेटवर्क टेकनिशियन या मेकाट्रोनिक्स या डाटा एंट्री ऑपरेटर में दो वर्ष की औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (आई.टी.आई) हो।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित विद्यार्थी के तौर पर भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों में समुच्चय 60 प्रतिशत अंकों सहित भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित विषयों के साथ 12वीं या इंटरमीडिएट या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>2. शारीरिक मानदंड :- (पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) लम्बाई : 168 से.मी. सीना : 80 से.मी. (फुलाने के बाद 85 से.मी.) वजन : ऊँचाई के अनुरूप</p> <p><b>टिप्पण 1 :-</b> ऊँचाई के मामले में न्यूनतम मानक में मूलवंश से संबंधित व्यक्तियों अर्थात् गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी, लेह व लद्दाख क्षेत्र, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों को 3 से.मी. (अर्थात् 168 से.मी. की बजाए 165 से.मी.) तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> मिजो और नागा सहित अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों के संबंध में लम्बाई में 5.5 से.मी. (अर्थात् 168 से.मी. की बजाए 162.5 से.मी.) तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 3 :-</b> आदिवासियों या जनजातियों के मामले में क्रमशः सीने की माप के न्यूनतम मानक में बिना फुलाए 80 से.मी. और फुलाकर 85 से.मी. की बजाए बिना फुलाए 76 से.मी. और फुलाकर 81 से.मी. शिथिल की जा सकती है।</p> <p>(महिला अभ्यर्थियों के लिए) लम्बाई : 157 से.मी. सीना : लागू नहीं वजन : ऊँचाई के अनुरूप</p> <p>छूट : गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी, लेह व लद्दाख क्षेत्र, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए : 155 से.मी. जनजातियों या आदिवासियों के लिए जिनमें मिजो और नागा भी शामिल हैं : 154 से.मी.</p> <p>3. चिकित्सा मानक (पुरुषों और महिलाओं के लिए) :- (क)</p>		लागू नहीं होता।	दो वर्ष।
(निकट दृष्टि)	(दूर दृष्टि)	अपवर्तन	टिप्पणी
अच्छी खराब आंख आंख	अच्छी खराब आंख आंख		
एन6	एन9	6/6	6/9
		किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार यहां तक की	दाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की दाईं आंख उसी प्रकार बाएं हाथ से

				चश्मों के द्वारा भी, स्वीकार्य नहीं होगा।	कार्य करने वाले व्यक्तियों की बाईं आंख बेहतर होनी चाहिए। द्विनेत्री दृष्टि की आवश्यकता है।		
<p>(ख) (ख) अभ्यर्थियों के मिले हुए घुटने, सपाट तलवे, स्फीत शिरा या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और उनकी दृष्टि, इशहारा के द्वारा सी.पी.-।।। होनी चाहिए। वे मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के होने चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि सक्षमतापूर्वक कार्य संपादन में बाधा पड़ने की संभावना हो।</p> <p>4. अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा, प्रारंभिक जांच परीक्षण (पी.एस.टी), शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.) और विस्तृत चिकित्सकीय जांच में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।</p> <p>5. व्यावसायिक अर्हताएं : परिवीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में अर्हित होना चाहिए :-</p> <p>(i) बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण</p> <p>(ii) रेडियो मैकेनिक (आर.एम.) पाठ्यक्रम श्रेणी-।।। और</p> <p>(iii) नक्शा पठन स्तर-।।</p>							

(10)	(11)
<p>(i) पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (जिसमें दस प्रतिशत तक भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन शामिल है जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा);</p> <p>(ii) पच्चीस प्रतिशत सीसुबल के इच्छुक साधारण ड्यूटी कार्मिकों अर्थात् कांस्टेबल (जी.डी.) की सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा (एल.डी.सी.ई.) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>1. भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन :-</p> <p>(क) सशस्त्र बलों में उसी ट्रेड में समतुल्य रैंक या उच्चतर रैंक धारण करने वाले भूतपूर्व सैनिक।</p> <p>(ख) शारीरिक मानदण्ड और शैक्षिक योग्यताओं में पूर्ण रूपेण छूट।</p> <p>(ग) चिकित्सा श्रेणी "SHAPE-I" होनी चाहिए।</p> <p>(घ) सैन्य सेवा में तीन वर्ष जोड़कर आयु सीमा में छूट।</p> <p>(ङ) सेवा में व्यवधान दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>2. सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा (एल.डी.सी.ई.) :-</p> <p>(क) ऐसे इच्छुक कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी/ट्रेडमैन) जिन्होंने सीधी भर्ती हेतु यथाविहित शैक्षिक अर्हता सहित वेतन मैट्रिक्स में ( 21700-69100रु०) स्तर-3 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों :-</p> <p>(i) अभिरूचि परीक्षण में अर्हक;</p> <p>(ii) चिकित्सा श्रेणी "SHAPE-I" होनी चाहिए।</p> <p>(ख) व्यावसायिक योग्यता :- एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के विस्तार के अधीन परिवीक्षा के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में अर्हता होनी चाहिए।</p> <p>(i) रेडियो मैकेनिक पाठ्यक्रम श्रेणी-।।।;</p> <p>(ii) नक्शा पठन स्तर-।।।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति पर विचार के लिए जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :</p> <p>(1) कमांडेंट, - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल</p> <p>(2) द्वितीय-कमान-अधिकारी, - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल</p> <p>(3) उप कमांडेंट, -सदस्य। सीमा सुरक्षा बल</p>	लागू नहीं होता।



[ फा. सं. 17 / 146 / 2017—गोपनीय / सीसुबल ]

विनोद कुमार, अवर सचिव (कार्मिक—III)

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2018

**G.S.R. 1069(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) read with clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Border Security Force Communication (Non-Gazetted) Cadre Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' and Group 'C' posts of Communication(Non Gazetted) Cadre in the Border Security Force, in the Ministry of Home Affairs, namely:-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Border Security Force, Radio Operator and Radio Mechanic (Non-Gazetted) Cadre Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definition.**—In this rule, unless context otherwise requires-

(a) "Act" means the Border Security Force Act, 1968(47 of 1968);

(b) "Director General" means the Director General, Border Security Force;

(c) "Competent authority" means the appointing authority or the authority referred to in the Border Security Force Act, 1968 and the Border Security Force Rules, 1969;

(d) "SHAPE-I" means the Medical Category as under:-

(i) Medical classification done by the Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function:

S - Psychological

H - Hearing

A - Appendages

P - Physical Capacity

E - Eye-Sight

(ii) Functional capacity of an officer under each factor shall be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals shall be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S<sub>1</sub>H<sub>1</sub>A<sub>1</sub>P<sub>1</sub>E<sub>1</sub> and the general evaluation of these numerals is as under :-

1. Fit for all duties anywhere.

2. Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and areas of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears or eyes.

3. Excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.

4. Temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave.

5. Permanent unfit for duties.

(e) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act and the Border Security Force Rules, 1969 shall have the meaning assigned to them in the said Act and rules.

**3. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column(1) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

5. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule:

Provided that the incumbents who fail in one or more subject in the final examination of the respective service trade course shall be allowed maximum two chances to appear in trade course examination and shall have to qualify the trade course during the period of probation:

Provided further that, the Direct Entry Candidates and remustrated departmental candidates namely Head Constable (Radio Operator), Head Constable (Radio Mechanic) and Constable (General Duty) shall draw the pay and allowances equally from the date of their enrolment or absorption, while on probation, and after completion of Basic Recruit Training, the incumbents shall, as the case may be, to undergo the Grade-III course of relevant trade and Map Reading standard-II course and thereafter, regular appointment in the post specified in the Schedule shall take effect from the date of their passing the service trade course.

6. **Initial Constitution.**— (1) Personnel holding the posts on regular basis immediately before commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) Personnel holding the posts of Inspector and Sub Inspector and were initially recruited as Naik/Head Constable (Technical) in Special Instruments Workshop, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(3) The regular continuous service of personnel mentioned in sub-rules (1) and (2) in the respective grades immediately before commencement of these rules shall counted for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service:

Provided that eligibility length of service for promotions to those appointed directly before commencement of these rules shall count from the date of entry.

7. **Maintenance of seniority list.**—(1) Seniority list of Communication Radio Operators, and Radio Mechanic trade category personnel upto the rank of Sub-Inspector shall be maintained separately for each category by Communication Directorate, Force Head Quarters for the purpose of promotion upto the rank of Inspector in Communication Cadre and calculation of vacancies. However, a combined seniority of Inspector (General Duty), Inspector(Motor Transport), Inspector (Radio Operator) and Inspector (Radio Mechanic) for the purpose of promotion to the rank of Assistant Commandant (General Duty) shall be maintained by Personnel/Confidential and Vigilance Directorate.

8. **Seniority.**—(1) Persons holding a higher rank whether in an officiating or substantive capacity shall be senior to the person holding a lower rank.

(2) Seniority in any rank, shall be determined on the basis of continuous regular appointment in that rank:

Provided that the seniority of the personnel holding the same rank and on the same day shall be determined in accordance with the order of selection for appointment to that post.

(3) Subject to the provision of sub-rule (2), seniority in the entry grade post shall be determined in accordance with merit of their final examination of the Grade –III course from the date of qualifying such examination:

Provided that the persons selected for appointment in an earlier batch will be senior to those selected in subsequent batches.

(4) Inter-se-seniority of the incumbents on merger of Cipher trade with Radio Operator Stream and Fitter trade with Radio Mechanic stream will be fixed as per the following criteria :—

- (i) Seniority will be fixed in merged trades as per their date of promotion in present rank;
- (ii) On merging of trades, junior will be placed below the senior of merged entity;
- (iii) In instances where date of promotion in the present rank is same, then date of promotion in immediate lower rank will be considered for fixing their seniority;
- (iv) In case where date of promotion in lower rank is also same, then the date of promotion in next lower rank will be considered and if that is also same, then date of appointment in feeder grade of respective trade will be taken into account;
- (v) Seniority of Head Constable (Radio Operator) and Head Constable (Ciphers) will be fixed as per their date of appointment as Head Constable/Naik (Radio Operators) because Head Constable (Cipher) have been remustrated from Head Constable (Radio Operator) only and for the purpose

of ACP/MACP their service is also being counted from their appointment as Head Constable (Radio Operators) or Nail (Radio Operators).

**9. Disqualifications.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment under these rules:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**10. Ineligibility of Aliens.**—No person who is not a citizen of India shall, except with the consent of the Central Government, signified in writing, be appointed or employed under these rules:

Provided that nothing contained in these rules shall debar the appointment, enrolment or employment of a subject of Nepal or Bhutan under these rules.

**11. Superannuation.**— (1) A person appointed under the provisions of these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty-seven years:

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years.

(1) No person shall be granted extension in service beyond the age of retirement of fifty-seven years.

**12. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**13. Liability of service.**—Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

**14. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post.	Number of posts.	Classification.
(1)	(2)	(3)
1. Inspector (Radio Operator)	526* (2018) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "B", Non-Gazetted, Non-Ministerial.

Level in the pay matrix .	Whether Selection post or non-selection post.	Age limits for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level-7 (Rs. 44900-142400)	Selection post.	Not applicable.

Education and other qualification required for direct recruitment .	Whether age and qualification prescribed for direct recruit will apply in the case of promotion.	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)

By Promotion failing which deputation.	<p><b><u>By Promotion:-</u></b> Sub-Inspector(Radio Operator) in the level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by Director General Border Security Force from time to time with Medical category “SHAPE-I”.</p> <p><b><u>Note1:</u></b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b><u>Note 2:</u></b> Service in the rank of Sub Inspector (Cipher) will also be counted for promotion to the rank of Inspector (Radio Operator) at par with Sub Inspector (Radio Operator).</p> <p><b><u>Deputation :-</u></b> Personnel of the Central or State Governments or Union Territories of Armed Forces or Central Para Military Forces or Central or State Police Organizations:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.</p> <p>(b) possessing matriculation or equivalent from a recognised Board and two years Industrial Training Institute certificate in Radio and Television or Electronics Engineering or Computer Operator and programming assistant or Data preparation and Computer software or General Electronics Engineering or Data Entry Operator from a recognized Institute.</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Pass in Intermediate or 12th standard or equivalent with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognized Board or University or Institution as a regular student with aggregate 60% marks in Physics, Chemistry and Mathematics subjects.</p> <p>Note 1 : Candidates should be medically fit and in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p> <p>Note 2 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be ‘Not exceeding 56 years’ as on the last date of receipt of application.</p>
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Inspector General, BSF - Chairman; (2) Deputy Inspector General, BSF- Member; (3) Deputy Inspector General, BSF- Member; (4) Commandant BSF - Member.		Not applicable.
(1)	(2)	(3)
2. Sub-Inspector (Radio Operator)	1080* (2018) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "B", Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised
(4)	(5)	(6)
Level-6 (Rs. 35400-112400).	Selection post.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.
(10)	(11)	
By promotion failing which deputation.	<p><b><u>By promotion:</u></b> Assistant Sub-Inspector (Radio Operator) in the level-5 (29200-92300/-) in the pay matrix with six years regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by Director General Border Security Force from time to time with Medical Category "SHAPE-I". <b><u>Note1:</u></b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. <b><u>Note 2</u></b> Service in the rank of Assistant Sub Inspector (Cipher) will also be counted for promotion to the rank of Sub Inspector (Radio Operator) at par with Assistant Sub Inspector (Radio Operator). <b><u>Deputation :-</u></b> Personnel of the Central or State Governments or Union Territories of Armed Forces or Central Para Military Forces or Central or State Police Organizations: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years regular service in the level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix. (b) possessing matriculation or equivalent from a recognised Board and two years Industrial Training Institute certificate in Radio and Television or Electronics Engineering or Computer Operator and programming assistant or Data preparation and Computer software or General Electronics Engineering or Data Entry Operator from a recognized Institute.  Or Pass in Intermediate or 12th standard or equivalent with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognized Board or University or Institution as a</p>	

	<p>regular student with aggregate 60% marks in Physics, Chemistry and Mathematics subjects.</p> <p><b>Note 1 :</b> Candidates should be medically fit and in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p> <p><b>Note 2 :</b> The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of application.</p>
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee (for considering promotion/confirmation) consisting of:- (1) Inspector General, BSF - Chairman; (2) Deputy Inspector General, BSF - Member; (3) Deputy Inspector General, BSF - Member; (4) Commandant BSF - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)
3. Assistant Sub-Inspector (Radio Operator)	2982* (2018) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.

(4)	(5)	(6)
Level-5 (Rs. 29200-92300).	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
By Promotion.	<p><u>By promotion:</u> Head Constable (Radio Operator) in the level-4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time with Medical Category "SHAPE-I".</p> <p><b>Note1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already</p>

	completed such qualifying or eligibility service. <b>Note 2:</b> Service in the rank of Head Constable (Cipher) will also be counted for promotion to the rank of Assistant Sub-Inspector (Radio Operator) at par with Head Constable(Radio Operator)..
--	--

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Deputy Inspector General, BSF - Chairman; (2) Commandant, BSF - Member; (3) Second-In-Command, BSF - Member. or Deputy Commandant, BSF	Not applicable.

(1)	(2)	(3)
<b>4. Head Constable (Radio Operator)</b>	4065* (2018) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Selection	Between 18 and 25 years. (Relaxation for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
<b>1. Academic Qualification:-</b> (i) Matriculation or equivalent from a recognized Board and two years Industrial Training Institute Certificate (ITI) in Radio and Television or Electronics Engineering or computer operator and Programming Assistant or Data Preparation and Computer Software or General Electronics Engineering or Data Entry Operator from a recognised Institute. Or Pass in Intermediate or 12th standard or equivalent with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognised Board or University or Institution as a regular student with aggregate 60% marks in Physics Chemistry Math subjects. <b>2. Physical standards:-</b> For Men- Height : 168 cms Chest : 80 cms (85 cms after expansion)	Not Applicable.	Two Years.

<p>Weight: Corresponding to Height.</p> <p><b>Note 1:-</b> The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed by 3 cms (i.e. from 168 cms to 165 cms) in respect of persons belonging to the races, namely, Garhwalis, Kumaonese, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies persons hailing from Leh and Ladakh, Kashmir Valley, North Eastern States and the State of Himachal Pradesh.</p> <p><b>Note 2:</b> The Minimum standard so far as it relates to height may be relaxed by 5.5 cms (i.e. from 168 cms to 162.5 cms) in respect of Adivasis or Tribals including Mizos and Nagas.</p> <p><b>Note 3:</b> The minimum standard so far it relates to chest measurement may be relaxed from 80 cms unexpanded and 85 cms expanded to 76 cms unexpanded and 81 cms expanded respectively for Adivasis or tribals.</p> <p>For Women                  Height :157 Cms                  Chest :Not applicable                  Weight :Corresponding to Height</p> <p><b>Relaxation:</b>                  For candidates belonging to Hill area of Garhwal, Kumaon, Himachal Pradesh, Gorkhas Dogras, Marathas, Sikkimies, Leh and Laddakh, Kashmir Valley and North Eastern States: 155 Cms.                  For Tribals or Adivasis including Mizos &amp; Nagas :154 Cms.</p> <p>3. Medical Standard (For Men and Women) :-                  (a)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Near Vision</th> <th colspan="2">Distant vision</th> <th rowspan="2">Refraction</th> <th rowspan="2">Remarks</th> </tr> <tr> <th>Better eye</th> <th>Worse eye</th> <th>Better eye</th> <th>Worse eye</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N 6</td> <td>N9</td> <td>6/6</td> <td>6/9</td> <td>Visual correction of any kind is not permitted even by glasses</td> <td>In right handed person, the Right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required.</td> </tr> </tbody> </table> <p>(b) The candidates must not have knock knees, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess CP III BY ISIHARA. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p> <p>4. Must qualify the Written test (s), Preliminary Screening Test (PST), Physical Efficiency Test (PET) and detailed medical examination.</p> <p>5. <b>Professional Qualifications:</b>                  Should qualify the following courses during probation period:-                  (i)Basic Recruit Training;                  (ii) Radio Operator Course Gde-III and                  (iii) Map Reading Standard-II.</p>	Near Vision		Distant vision		Refraction	Remarks	Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye	N 6	N9	6/6	6/9	Visual correction of any kind is not permitted even by glasses	In right handed person, the Right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required.		
Near Vision		Distant vision		Refraction			Remarks											
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye															
N 6	N9	6/6	6/9	Visual correction of any kind is not permitted even by glasses	In right handed person, the Right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required.													

(10)	(11)
(i)Seventy Five percent by direct recruitment (including Re- employment of ex-servicemen to the extent of ten percent failing which by direct recruitment);	1. Re-employment of ex-servicemen:- (a) Ex-servicemen holding the equivalent rank or higher rank in Armed Forces in the same trade. (b) Total relaxation in physical standard and educational



(ii) Twenty Five percent by Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) of willing General duty personnel of the Border Security Force, failing which by direct recruitment.	<p>qualification.</p> <p>(c) Should be Medical Category SHAPE-I;</p> <p>(d) Age relaxation to the extent of Military service plus three years;</p> <p>(e) Break in service should not be more than two years.</p> <p>2. Limited Departmental Competitive Examination (LDCE):</p> <p>(a) Willing Constables (General Duty/Trade Man) with three years regular service in their respective grade with educational qualifications as prescribed for direct entry recruitment with the following: -</p> <p>(i) Must qualify aptitude test.</p> <p>(ii) Medical Category SHAPE-I</p> <p>(b) Professional qualification:- Should qualify the following courses during probation otherwise he/she will be reverted to previous rank.</p> <p>(i) Radio Operator Course Gde-III;</p> <p>(ii) Map Reading Standard -II.</p>
--	---

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Commandant , BSF - Chairman; (2) Second-In-Command , BSF - Member; (3) Deputy Commandant, BSF - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)
5. Inspector ( Radio Mechanic)	314* (2018) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "B", Non-Gazetted, Non-Ministerial.

(4)	(5)	(6)
Level-7 (Rs. 44900-142400).	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
Promotion failing which deputation.	<p><b>By Promotion:-</b></p> <p>Sub-Inspector(Radio Mechanic) in the level-6 (Rs.35400-112400/) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed of pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time with Medical Category SHAPE-I.</p> <p><b>Note1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher</p>

	<p>grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.</p> <p><b>Note 2 :</b> Service in the rank of Sub-Inspector (Fitter) will also be counted for the promotion of Inspector (Radio Mechanic) at par with Sub Inspector (Radio Mechanic).</p> <p><b>Deputation :-</b> Personnel of the Central or State Governments or Union Territories of Armed Forces or Central Para Military Forces or Central or State Police Organizations:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in the level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.</p> <p>(b) possessing matriculation or equivalent from a recognised Board and two years Industrial Training Institute Certificate (ITI) in Radio and Television or General Electronics or Computer Operator and Programming Assistant or Data Preparation and Computer Hardware or Network Technician or Mechatronics or Data Entry Operator from a recognised Institute.</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Pass in Intermediate or 12th standard or equivalent with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognized Board or University or Institution as a regular student with aggregate 60% marks in Physics, Chemistry and Mathematics subjects.</p> <p><b>Note 1 :</b> Candidates should be medically fit and in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p> <p><b>Note 2 :</b> The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.</p>
--	---

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Inspector General, BSF - Chairman;</p> <p>(2) Deputy Inspector General, BSF- Member;</p> <p>(3) Deputy Inspector General, BSF- Member;</p> <p>(4) Commandant BSF - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)
6. Sub-Inspector (Radio Mechanic)	553* (2018) Subject to variation dependent on	General Central Service, Group "B", Non-Gazetted, Non-Ministerial.

	workload.	
(4)	(5)	(6)
Level-6 (Rs. 35400-112400).	Selection post.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.
(10)	(11)	
By promotion failing which deputation.	<p>By Promotion: Assistant Sub-Inspector (Radio Mechanic) in the level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix with six years regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time with Medical Category "SHAPE-I".</p> <p><b>Note1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> Service in the rank of Assistant Sub-Inspector (Fitter) will also be counted for promotion to the rank of Sub Inspector (Radio Mechanic) at par with Assistant Sub Inspector(Radio Mechanic).</p> <p>Deputation : Personnel of the Central or State Governments or Union Territories or Armed Forces or Central Para Military Forces or Central or State Police Organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years regular service in the level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix.</p> <p>(b) possessing matriculation or equivalent from a recognised Board and two years Industrial Training Institute Certificate (ITI) in Radio and Television or General Electronics or Computer Operator and Programming Assistant or Data Preparation and Computer Hardware or Network Technician or Mechatronics or Data Entry Operator from a recognised Institute.</p> <p>or</p> <p>Pass in Intermediate or 12th Standard or equivalent with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognized board or University or Institution as a regular student with Aggregate 60 per cent marks in Physics, Chemistry and Mathematics subjects.</p> <p><b>Note 1 :</b> The candidates should be medically fit and in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p> <p><b>Note 2 :</b> The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government</p>	

	shall ordinarily not exceed five years. <b>Note 3 :</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
--	--

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee (for considering promotion/ confirmation) consisting of :- (1) Inspector General, BSF - Chairman; (2) Deputy Inspector General, BSF - Member; (3) Deputy Inspector General, BSF - Member; (4) Commandant BSF - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)
7. Assistant Sub-Inspector (Radio Mechanic)	978* (2018) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.

(4)	(5)	(6)
Level-5 (Rs. 29200-92300).	Selection post.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
By promotion.	<b>By promotion:</b> Head Constable (Radio Mechanic) in the level-4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time with Medical Category "SHAPE-I".  Note1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Note 2: Service rendered in the rank of Head Constable (Fitter) will also be counted for promotion to the rank of Assistant Sub-Inspector (Radio Mechanic) at par with Head Constable (Radio Mechanic).

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	Not applicable.

(1) Deputy Inspector General, BSF - Chairman; (2) Commandant, BSF - Member; (3) Second-In-Command, BSF - Member. or Deputy Commandant, BSF	
--	--

(1)	(2)	(3)
8. Head Constable (Radio Mechanic)	1051* (2018) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non- Ministerial, Combatised.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Selection post.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
<p>1. Academic Qualifications:- (i) Matriculation or equivalent from a recognized Board or Institute and two years Industrial Training Institution certificate in Radio and Television or General Electronics or Computer Operator and Programming Assistant or Data Preparation and Computer Software or Electrician or Fitter or Information Technology and Electronics System Maintenance or Communication Equipment Maintenance or Computer Hardware or Network Technician or Mechatronics or Data Entry Operator from a recognized Institute Or Pass in Intermediate or 12<sup>th</sup> standard or equivalent with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognized Board or University or Institution as a regular student with aggregate 60% marks in Physics, Chemistry and Mathematics subjects.</p> <p>2. Physical standards:- For Men- Height : 168 cms. Chest : 80 cms (85 cms after expansion) Weight : Corresponding to Height.</p> <p><b>Note 1.-</b> The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 165 cms in respect of persons belonging to the races, namely, Garhwalis, Kumaonese, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies, persons hailing from Leh and Ladakh, Kashmir Valley, North Eastern States and</p>	Not applicable.	Two Years.

the State of Himachal Pradesh.

**Note 2:** The Minimum standard so far as it relates to height may be relaxed by 5.5 cms (i.e. from 168 cms to 162.5 cms) in respect of Adivasis or Tribals including Mizos and Nagas.

**Note 3.-** The minimum standard so far it relates to chest measurement may be relaxed from 80 cms unexpanded and 85 cms expanded to 76 cms unexpanded and 81 cms expanded respectively for Adivasis or tribals.

For Women-

Height : 157 Cms.

Chest : Not applicable

Weight :Corresponding to Height

Relaxation:-

For candidates belonging to Hill areas of Garhwal, Kumaon, Himachal Pradesh, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies, Leh and Laddakh, Kashmir Valley and North Eastern States. : 155 Cms.

For Tribals/Adivasis including Mizos and Nagas : 154 Cms.

3. Medical Standard (For Men and Women) :-

(a)

Near Vision		Distant vision		Refraction	Remarks
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye		
N 6	N9	6/6	6/9	Visual correction of any kind is not permitted even by glasses	In right handed person, the Right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required.

(b) The candidates must not have knock knees, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess CP III BY ISIHARA. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

4. Must qualify the Written test (s), Preliminary Screening Test (PST), Physical Efficiency Test (PET) and detailed medical examination.

5. Professional Qualifications:-

Should qualify the following courses during probation period:-

- (i) Basic Recruit Training;
- (ii) Radio Mechanic ( RM) Grade-III and
- (iii) Map Reading Standard-II.

(10)	(11)
(i) Seventy five percent by direct recruitment (including Re-employment of Ex-servicemen to the extent of ten percent failing which by direct recruitment);	Re-employment of Ex-servicemen:- (i) Ex-servicemen holding the equivalent rank or higher rank in Armed Forces in the same trade.  (ii) Total relaxation in physical standard and educational

<p>(ii) Twenty five percent by Limited Departmental Competitive Examination of willing General Duty personnel i.e Constable (General Duty) of the Border Security Force, failing which by direct recruitment.</p>	<p>qualification.</p> <p>(iii) Should be Medical Category SHAPE-1.</p> <p>(iv) Age relaxation to the extent of Military service plus three years.</p> <p>(v) Break in service should not be more than two years.</p> <p>2. Limited Departmental Competitive Examination (LDCE)</p> <p>(a)Willing Constables (General Duty/Trade Man) with three years regular service in level -3 in the pay matrix ( Rs. 21700-69100/-). with educational qualifications as prescribed for direct recruitment with the following:-</p> <p>(i) Must qualify aptitude test;</p> <p>(ii) Should be medical category 'SHAPE-1'.</p> <p>(b) Professional qualification:-Should qualify the following course during probation period subject to extension of probation period by one year:-</p> <p>Radio Mechanic Course Grade-III;</p> <p>(ii) Map Reading Standard-II.</p>
---	---

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Commandant , BSF - Chairman;</p> <p>(2) Second-In-Command , BSF - Member;</p> <p>(3) Deputy Commandant, BSF - Member.</p>	<p>Not applicable.</p>

[F. No. 17/146/2017-Confdl/BSF]

VINOD KUMAR, Under Secy. (Pers-III)